

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 02.12.2019
G.C.M.S. NO.: 2019/00289

ए. यु. स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यु. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड़, जयपुर (राज.) पिन नम्बर 302001 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री श्यामलाल सोनी पिता हीरालाल सोनी निवासी पुराना बस स्टेण्ड, झाड़ौली, तहसील पिण्डवाडा, एट आलसो श्यामलाल एण्ड हीरालाल पीएच 22 से 25 केशव नगर, चंदेरिया, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-श्रीमति पार्वती सोनी पत्नी श्यामलाल सोनी निवासी पुराना बस स्टेण्ड, झाड़ौली, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरौही (राज.)
- 3-श्री हीरालाल सोनी पिता पदमचंद जी सोनी निवासी 19/1, पोस्ट ऑफिस के पास, बडौदिया, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 4-श्री राजकुमार सोनी पिता हीरालाल सोनी निवासी पुराना बस स्टेण्ड, झाड़ौली, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरौही (राज.)
- 5-श्री जसवन्त कुमार सोनी पिता हीरालाल सोनी निवासी 98, हनुमान मंदिर के पीछे, केशव कॉलोनी, चंदेरिया, वार्ड नम्बर 01, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 6-श्री प्रहलाद सोनी पिता हीरालाल सोनी निवासी 113, वार्ड नम्बर 25, सुराणा मौहल्ला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 7-श्री महेन्द्र शर्मा पिता तुलाराम शर्मा निवासी कोशिलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

-अप्रार्थीगण



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री किशन सिंह गाडन, अधिवक्ता प्रार्थी



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

आदेश

दिनांक 29.12.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 25,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 3 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता सुश्री स्वीटी चौहान ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 से 6 एवं उनके अधिवक्ता भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्यामलाल एण्ड हीरालाल पीएच 22 से 25 केशव नगर, चंदेरिया, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिराका कुलिया माप 608.66 यार्ड है। चर्चुसीमा:-

पूर्व :- खुला प्लॉट

पश्चिम :- सड़क

उत्तर :- प्लॉट नम्बर 20 एवं 21

दक्षिण :- सड़क

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 24.07.2019 तक राशि रुपये 24,75,399/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्थोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्थोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'



(के. जे. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़